

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 नवम्बर 2015—कार्तिक 16, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2015

क्र. 7464-320-इक्कीस-अ-(प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 नवम्बर, 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०१५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ५) अधिनियम, २०१५

[दिनांक ७ नवम्बर, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ७ नवम्बर, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०१५ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये आठ हजार चार सौ सात करोड़ पैंसठ लाख चार हजार आठ सौ चालीस होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ८४,०७,६५,०४,८४० का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए विनियोग प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये
१२.	ऊर्जा	राजस्व २०,४३,५४,००,०००	०	२०,४३,५४,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व १५,८१,८४,५६,६४०	०	१५,८१,८४,५६,६४०
१७.	सहकारिता	पूंजी ३,९०,००,००,०००	०	३,९०,००,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	पूंजी ०	४०,२३,०००	४०,२३,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व ६८,२५,२००	०	६८,२५,२००
३६.	परिवहन	पूंजी ३०,००,००,०००	०	३०,००,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	पूंजी १,२०,००,००,०००	०	१,२०,००,००,०००
५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी २९,००,००,०००	०	२९,००,००,०००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व ३३,२८,००,००,०००	०	३३,२८,००,००,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	पूंजी ९०,००,००,०००	०	९०,००,००,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व ७,९४,१८,००,०००	०	७,९४,१८,००,०००
योग {		राजस्व : ७७,४८,२४,८१,८४०	०	७७,४८,२४,८१,८४०
		पूंजी : ६,५९,००,००,०००	४०,२३,०००	६,५९,४०,२३,०००
वृहद योग :		८४,०७,२४,८१,८४०	४०,२३,०००	८४,०७,६५,०४,८४०

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2015

क्र. 7464A-320-इक्कीस-अ-(प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 5) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 20 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 2015

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 5) ACT, 2015.

[Received the assent of the Governor on the 7th November, 2015; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 7th November, 2015].

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2015-2016.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-sixth year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 2015.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rupees Eight thousand four hundred seven crores sistyfive lakhs four thousands eight hundred forty towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2015-2016 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of Rs. 84,07,65,04,840 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2015-2016.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Appropriation.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		Total	
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund		
		Rs.	Rs.	Rs.	
12.	Energy	Revenue	20,43,54,00,000	0	20,43,54,00,000
13.	Formers Welfare and Agriculture Development	Revenue	15,81,84,56,640	0	15,81,84,56,640

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
17.	Co-operation	Capital	3,90,00,00,000	0	3,90,00,00,000
22.	Urban Development and Environment.	Capital	0	40,23,000	40,23,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	68,25,200	0	68,25,200
36.	Transport	Capital	30,00,00,000	0	30,00,00,000
41.	Tribal Areas Sub-Plan	Capital	1,20,00,00,000	0	1,20,00,00,000
57.	Externally Aided Projects pertaining to Water Resources Department	Capital	29,00,00,000	0	29,00,00,000
58.	Expenditure on Relief on Account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	33,28,00,00,000	0	33,28,00,00,000
64.	Scheduled Castes Sub-Plan	Capital	90,00,00,000	0	90,00,00,000
74.	Financial Assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	7,94,18,00,000	0	7,94,18,00,000
Total	..	Revenue	77,48,24,81,840	0	77,48,24,81,840
		Capital	6,59,00,00,000	40,23,000	6,59,40,23,000
Grand Total		—	84,07,24,81,840	40,23,000	84,07,65,04,840